न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

ना पत्रं संख्या : 58/22

1:– रितु चुण्डावत पुत्री चतर सिंह जाति राजपुत निवासी रावडदा तह0 बेगू हाल मुकाम पति परीक्षितसिंह चुण्डावत निवासी राय कोलोनी सरदारपुरा तहसील बाडमेर

...........प्रार्थी

– बनाम –

1:– उर्मिलाकंवर पुत्री भोपालसिंह जाति राजपुत निवासी रावडदा तह0 बेगू
2:– कैलाशकंवर पुत्री भोपालसिंह जाति राजपुत निवासी रावडदा तह0 बेगू
3:– कैलाशकंवर पत्नि फतहसिंह जाति राजपुत निवासी रावडदा तह0 बेगू
4:– प्रभाकरसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुत निवासी रावडदा तह0 बेगू
5:– भवंरकंवर पत्नि भोपालसिंह जाति राजपुत निवासी रावडदा तह0 बेगू
6:– मिथिलेशकंवर पुत्री फतहसिंह जाति राजपुत निवासी रावडदा तह0 बेगू
7:– राजश्री कंवर पुत्री पुत्री फतहसिंह जाति राजपुत निवासी रावडदा तह0 बेगू
8:– राजेन्द्रसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपुत निवासी रावडदा तह0 बेगू
9:– लक्ष्मीकंवर पत्नि चतरसिंह पुत्री जाति राजपुत निवासी रावडदा तह0 बेगू
10:– सुरेन्द्राकंवर पुत्री फतहसिंह जाति राजपुत निवासी रावडदा तह0 बेगू
11:– श्रीमान भूमिधारी तहसिलदार सा. बेगूँ

...........विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट.

प्रार्थना पत्र आ. धारा 136 एल.आर.एक्ट. प्रस्तुत कर प्रार्थीया की ओर से वकील श्री लालुराम कुमावत ने निवेदन इस प्रकार किया है कि मोजा रावडदा प0ह0 रावडदा त0 बेगूँ की खाता संख्या 189 आराजी न0 580 रकबा 0.0400 है0 व खाता संख्या 27 आराजी संख्या 1070/449 , 439मी किता 2 कुल रकबा 3.6850 है0 खाता संख्या 182 आराजी संख्य1052/764,46,47,49,639,648मी,649,675, 711,712,713,715,716,717,763,809,810,814,823,824,849 कुल किता 21 कुल रकबा 9.5250 है0 भूमि के खाते में किर्तिनिधी दर्ज रेकार्ड है जो प्रार्थीया के पिता चतरसिंह कि मृत्यु के पश्चात पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरण खोला गया उसमें प्रार्थीया का नाम सहवन से किर्तिनिधि दर्ज हो गया जबकि प्रार्थीया का नाम रितु चुन्डावत है प्रार्थीया के सभी राजकिय दस्तावेजों में नाम रितु चुन्डावत है अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मोजा रावडदा पटवांर हल्का रावडदा तह0 बेगूँ कि खाता सं. 179, 182, 27 संवत 2078 से 2078 में प्रार्थीया का नाम किर्तिनिधि की बजाय रितु चुन्डावत दर्ज किया जाने का आदेश फरमाये एवं खाता सं. 27 में किर्तिनिधि पुत्र चतरसिंह के बजाय रितु चुन्डावत पुत्री चतरसिंह दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जाये।
प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षीगण [illegible] सम्बंध तलब किया गया विपक्षी सं. 1,2,3,6,7,10 कि और से वकील श्री [illegible] [illegible] पत्र पेश किया किन्तु जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने पर जवाब का [illegible] बन्द किया [illegible] एवं विपक्षी सं. 4,5,8,9 के विरूध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं विपक्षी सं. 11 [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र प्र[illegible]र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने पर आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।
प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गई प्रकरण में वकील प्रार्थी ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र अनुसार करते हुए निवेदन इस प्रकार से किया है कि मोजा रावडदा प0ह0 रावडदा त0 बेगूँ की खाता संख्या 189 आराजी न0 580 रकबा 0.0400 है0 व खाता संख्या 27 आराजी संख्या 1070/449 , 439मी किता 2 कुल रकबा 3.6850 है0 खाता संख्या 182 आराजी संख्या 1052/764, 46, 47, 49, 639, 648मी, 649, 675, 711, 712, 713, 715, 716, 717, 763, 809, 810, 814, 823, 824, 849 कुल किता 21 कुल रकबा 9.5250 है0 भूमि के खाते में किर्तिनिधी दर्ज रेकार्ड है। जो प्रार्थीया के पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 16:17:13 IST
Reason: SelfAttested

जाने का आदेश फरमाये एवं खाता सं. 27 में किर्तिनिधि पुत्र चतरसिंह के बजाय रितु पुत्री चतरसिंह दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जाये।

पिपक्षी ने अपने जवाबी बहस में निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र मैरिट के आधार पर स्वीकार जावे।

करण उभय पक्ष की बहस सुने जाने के पश्चात एवं प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया गया नकल जमाबन्दी 2078 खाता सं. 179, 182 में किर्तिनिधी पुत्र चतरसिंह हिस्सा 1/6 खाता सं. 27 में किर्तिनिधि पुत्री चतरसिंह हिस्सा 1/2 दर्ज अकिंत है एवं दस्तावेज नकल आधार कार्ड जन आधार कार्ड एवं भामाशाह कार्ड मतदाता परिचय पत्र में रितु चुन्डावत पति परिक्षित सिंह चुन्डावत निवासी बाडमेर है एवं विधा निकेतन सीनियर हाई सैकण्डरी स्कूल भीलवाडा माधमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान सैकण्डरी स्कूल परिक्षा 1991 कि अकं तालिका में रितु चुन्डावत पुत्री चतुर प्रतापसिंह चुन्डावत दर्ज अकिंत है पासपोर्ट की छाया प्रति में चुन्डावत रितु पिता का चतुर प्रतापसिंह दर्ज अकिंत है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अनुसार अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में किर्तिनिधि पिता चतरसिंह के बजाय रितु चुन्डावत पिता चतरसिंह दर्ज अकिंत कराना चाहती है। किन्तु प्रार्थीया ने उक्त प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई दस्तावेज राशन कार्ड अकं तालिका प्रस्तुत नहीं की है जिससे यह सिद्ध हो सके कि रितु चुन्डावत ही चतरसिंह की पुत्री है।

प्रकरण में प्रार्थीया द्वारा पिता के नाम के जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उनमें चतुर प्रतापसिंह नाम दर्ज अकिंत है। एवं अन्य सभी दस्तावेजो में पति का नाम अकिंत है जबकि प्रत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबन्दी में किर्तिनिधि पिता चतरसिंह दर्ज अकिंत है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अ.धा. 136 एल.आर.एक्ट. का दस्तावेजो से सिद्ध नहीं होने से एतद् द्वारा खारिज किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 22–08–2023 को लिखा जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र गुर्जर)
सहायक कलक्टर,(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ जिला चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Kailash Chand Gurjar
Date: 2023.10.19 15:17:13 IST
Reason: SelfAttested